

## आदेश

वित्त विभाग बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या 4685, दिनांक-25.06.03 एवं संकल्प सह ज्ञापांक 7566 दिनांक-14.07.2010 में वर्णित प्रावधानों एवं सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में दिनांक-13.09.2018 को सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना 2003 एवं रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना, 2010 के अन्तर्गत प्रारक्ष अवर निरीक्षक(प्रशिक्षण) एवं आशु अवर निरीक्षकों को देय/अदेय लाभ पर विचारण हेतु पुलिस महानिदेशक पर्सद की बैठक आहूत की गई। इस क्रम में पुलिस महानिदेशक पर्सद की बैठक में संबंधित बिन्दुओं पर विशिष्ट रूप से विचार किया गया, जो निम्नवत् हैं :-

(क) गृह विभाग के पत्रांक-7225 दिनांक-23.07.2005 के माध्यम से राजभाषा विभाग, विहार सरकार के प्राप्त परामर्श के आलोक में निर्णय लिया गया कि हवलदार पद पर प्रोन्नति से पूर्व वित्तीय उन्नयन के निमित्त सिपाहियों को हिन्दी परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य नहीं होगा।

(ख) चूंकि सिपाहियों को संसाधन के अभाव में विभाग द्वारा एस0एल0सी0 प्रशिक्षण हेतु काफी विलम्ब से भेजा जाता है, इसलिए हवलदार पद पर प्रोन्नति देने से पूर्व वित्तीय उन्नयन के निमित्त एस0एल0सी0 परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य नहीं होगा।

(ग) जिन कर्मियों/पदाधिकारी को हिन्दी परीक्षा उत्तीर्ण होने से पूर्व हवलदार पद पर प्रोन्नति दे दी गई है, उनको उत्तरवर्ती वित्तीय उन्नयन हिन्दी परीक्षा की उत्तीर्णता तिथि के अनुसार अनुमान्य होगा। यह भी निर्णय लिया गया कि ऐसे मामलों में सक्षम प्राधिकार के माध्यम से संबंधित कर्मियों/पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाय कि पूर्व में प्राप्त अनियमित वित्तीय उन्नयन से फलित आर्थिक लाभ की कटौती क्यों नहीं कर ली जाय। इस क्रम में प्राप्त होने वाले स्पष्टीकरण के आलोक में नियमानुकूल कार्रवाई अपेक्षित होगा।

(घ) पुलिस हस्तक नियम 828(सी) के अन्तर्गत यदि किसी कर्मियों/पदाधिकारी के वेतनवृद्धि का समपहरण किया जाता है, तो उसे वृहद सजा माना जायेगा एवं उसका प्रभाव घटना की तिथि से तीन वर्ष तक पड़ेगा।

(ङ) जिन कर्मियों/पदाधिकारियों का द्वितीय रूपान्तरित सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन दंडादेश के कारण स्थगित/विलम्बित हुआ है, उनको तृतीय रूपान्तरित सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन का लाभ संबंधित ग्रेड वेतन में दस वर्षों के बाद अनुमान्य किया जायेगा। पुलिस महानिदेशक पर्सद का उक्त निर्णय वित्त विभाग से प्राप्त होने वाले परामर्श से प्रभावित होगा।

(च) पुलिस महानिदेशक पर्सद इस बात पर भी सहमत हुई कि जिन पदाधिकारियों के विरुद्ध सम्प्रति विभागीय कार्यवाही लंबित हैं एवं संबंधित वि०का० में घटना की तिथि ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० की अनुमान्य तिथि के बाद का हो तो ऐसे मामलों में वित्तीय उन्नयन का लाभ सशर्त देय होगा।

(2) प्रारक्ष अवर निरीक्षक(प्रशिक्षण) एवं आशु अवर निरीक्षकों के पदाधिकारियों को ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० का लाभ देने के संबंध में क्षेत्रीय पर्सदों से प्राप्त मनोनयन के आधार पर महानिदेशक पर्सद में निम्नांकित पदाधिकारियों के मामलों में सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना 2003 एवं रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना 2010 में वर्णित प्रावधानों के आलोक में विचार किया गया। निम्नांकित प्रारक्ष अवर निरीक्षक(प्रशिक्षण) एवं आशु अवर निरीक्षकों को निम्न सारिणी के कॉलम 4 एवं 5 में अंकित तिथियों के प्रभाव से ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० के लाभ हेतु योग्य पाया गया :-

क्र०	पदनाम/ नाम /जन्म तिथि/ वर्तमान पदस्थापन	नियुक्ति तिथि	ए०सी०पी० की देय तिथि	एम०ए०सी०पी० की देय तिथि	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	7
1.	मृत प्रा०अ०नि० ब्रज किशोर शर्मा 07.07.1954, मोतिहारी	01.10.72	-	तृतीय 01.01.09	-
2.	से०नि० प्रा०अ०नि०(प्रशि०) रामेश्वर राम/ 01.01.51/ बेतिया	01.01.74	-	तृतीय 01.01.09	-
3.	से०नि० प्रा०अ०नि०(प्रशि०) रामधारी माझी/ बेतिया/ 13.05.51 से०नि०-31.05.11	04.08.73	-	तृतीय 01.01.09	-
4.	प्रा०अ०नि०(प्रशि०) उत्तम कु० पासवान 02.06.1962 मुजफ्फरपुर	21.11.81	द्वितीय 26.09.10	-	द्वितीय एम०ए०सी०पी० विभागीय जाच के कुप्रभाव के कारण दिनांक-26.09.2010 से यथासंशोधित। तदनुसार तृतीय एम०ए०सी०पी० अभी देय नहीं।

क्र०	पदनाम / नाम / जन्म तिथि / वर्तमान पदस्थापन	नियुक्ति तिथि	ए०सी०पी० की देय तिथि	एम०ए०सी०पी० की देय तिथि	अभियुक्ति
5.	प्रा०अ०नि०(प्रशि०) विरेन्द्र प्र० साहु 19.01.1962 मुजफ्फरपुर	11.03.86	द्वितीय 11.03.10	तृतीय 11.03.16	प्राप्त द्वितीय एम०ए०सी०पी० 24 वर्ष पूर्ण होने पर दिनांक-11.03.2010 से द्वितीय ए०सी०पी० यथासंशोधित।
6.	प्रा०अ०नि०(प्रशि०) श्याम बिहारी राम 03.11.1964 मुजफ्फरपुर	16.11.84	-	तृतीय 16.11.14	
7.	प्रा०अ०नि०(प्रशि०) वृन्दावन यादव 05.02.65 सीतामढी	11.01.86	-	तृतीय 01.11.16	
8.	प्रा०अ०नि०(प्रशि०) राम नारायण राम/ 06.09.57/भोजपुर	24.08.79		तृतीय 24.08.09	हवलदार में प्रोन्नति की तिथि अंकित नहीं।
9.	प्रा०अ०नि०(प्रशि०) बाबू लाल उपाध्याय/ 01.02.51/ रोहतास से०नि०-31.01.11	02.01.69	द्वितीय 09.08.99	तृतीय 12.05.09	हवलदार में प्रोन्नति के कारण प्रथम ए०सी०पी० अनुमान्य नहीं।
10.	प्रा०अ०नि०(प्रशि०) राजवंश राम/ 26.08.56/ रोहतास से०नि०-31.08.16	20.03.76		तृतीय 01.01.09	
11.	प्रा०अ०नि०(प्रशि०) रूस्तम खॉं/ 01.01.56/ बक्सर से०नि०-31.12.15	29.07.76		तृतीय 01.01.09	
12.	प्रा०अ०नि०(प्रशि०) अमीर राम/ 04.03.56/ बक्सर से०नि०-31.03.16	19.02.77	द्वितीय 24.07.01	तृतीय 24.07.11	प्राप्त द्वितीय ए०सी०पी० सजा के कुप्रभाव के कारण दिनांक-24.07.01 से द्वितीय ए०सी०पी० यथासंशोधित। तदनुसार, तृतीय एम०ए०सी०पी० विलम्ब से देय।
13.	प्रा०अ०नि०(प्रशि०) मो० फैयाज खॉं/ 20.09.51/ बक्सर से०नि०-03.09.11	21.09.71		तृतीय 01.01.09	
14.	प्रा०अ०नि०(प्रशि०) बन्धन उरॉंव/ 02.07.55/ रोहतास से०नि०-31.07.15	10.01.77		तृतीय 01.01.09	
15.	प्रा०अ०नि०(प्रशि०) रंग बहादुर सिंह/ 19.02.53/ रोहतास/ से०नि० 28.02.12	19.08.75		तृतीय 01.01.09	
16.	प्रा०अ०नि०(प्रशि०) गोविन्द राम/ 01.07.53/ रोहतास से०नि०-30.06.13	23.07.73		तृतीय 12.03.09	सजा के कुप्रभाव के कारण तृतीय एम०ए०सी०पी० विलम्ब से देय।
17.	प्रा०अ०नि०(प्रशि०), राम सेवक यादव 21.10.60/ दरभंगा	25.12.81		तृतीय 12.04.14	द्वितीय ए०सी०पी० विलम्ब से प्राप्त। तदनुसार, तृतीय एम०ए०सी०पी० विलम्बित।
18.	प्रा०अ०नि०(प्रशि०)/अरूण कुमार सिंह-द्वितीय/ 14.08.66/ बगहा	27.09.16	द्वितीय 15.12.09	तृतीय 15.12.15	प्राप्त द्वितीय एम०ए०सी०पी० समय से पूर्व। द्वितीय ए०सी०पी० 15.12.09 से यथासंशोधित।
19.	से०नि० प्रा०अ०नि० ब्रह्मदेव शर्मा/ 01.02.53/ भागलपुर से०नि० तिथि 31.01.13	12.05.75		तृतीय 01.01.09	
20.	से०नि० प्रा०अ०नि० युनूस आलम 16.12.53/ भागलपुर से०नि० तिथि 31.12.13	15.12.73		तृतीय 21.06.10	प्राप्त द्वितीय ए०सी०पी० सजा के कुप्रभाव के कारण विलम्ब से। तदनुसार तृतीय एम०ए०सी०पी० विलम्ब से यथासंशोधित।
21.	से०नि० प्रा०अ०नि० सैफूल भगत 10.03.57/ भागलपुर से०नि० तिथि-31.03.17	01.01.80		तृतीय 01.01.10	
22.	प्रा०अ०नि० गोतम सिंह/ 23.02.61/ भागलपुर	05.07.79		तृतीय 25.10.10	वि०का० लंबित रहने के कारण तृतीय एम०ए०सी०पी० विलम्ब से देय।
23.	प्रा०अ०नि०(प्रशि०) सुबोध राय/ 31.12.58/ भागलपुर	10.01.82	द्वितीय 02.03.08	तृतीय 02.03.18	द्वितीय ए०सी०पी० सजा के कुप्रभाव के कारण विलम्ब से देय। तदनुसार तृतीय एम०ए०सी०पी० विलम्बित।

क्र०	पदनाम/ नाम / जन्म तिथि/ वर्तमान पदस्थापन	नियुक्ति तिथि	ए०सी०पी० की देय तिथि	एम०ए०सी०पी० की देय तिथि	अभियुक्ति
24.	से०नि० प्रा०अ०नि० (प्रशि०) योगेन्द्र पासवान / 09.6.55 / भागलपुर सेवानिवृत्त-30.06.2015	01.12.75	द्वितीय 01.12.99	तृतीय 01.01.09	प्राप्त द्वितीय ए०सी०पी० सशोधित। 24 वर्ष की अवधि पूर्ण होने की तिथि दिनांक-01.12.99 से द्वितीय ए०सी०पी०।
25.	प्रा०अ०नि० (प्रशि०) प्रफुलचन्द्र दास / 01.06.58 / नवगछिया सेवा निवृत्त-31.07.17	08.09.75	--	तृतीय 01.01.09	
26.	प्रा०अ०नि० (प्रशि०) गनौरी बैदय / 04.08.58 सि०प्र०वि०, नाथनगर	19.07.84	--	तृतीय 19.07.14	प्रथम ए०सी०पी० हवलदार में प्रोन्नति के कारण देय नहीं। द्वितीय ए०सी०पी० ससमय प्राप्त। तृतीय ए०ए०सी०पी० दिनांक-19.07.14 से देय।
27.	प्रा०अ०नि० (प्रशि०) / सच्चिदा प्रसाद सिंह / 07.01.53 / बेगुसराय	09.08.71	--	तृतीय 01.01.09	
28.	प्रा०अ०नि० (प्रशि०) / गिरधरी राम / 06.01.56 / बेगुसराय (मृत्यु-08.12.12)	11.01.74	--	तृतीय 01.01.09	
29.	से०नि० प्रा०अ०नि०(प्रशि०) बमबम प्रसाद सिंह / 01.07.55 / मुंगेर	30.09.73	--	तृतीय 01.01.09	
30.	प्रा०अ०नि० (प्रशि०) / ओम प्रकाश पाण्डेय / 05.08.66 / सारण	12.11.86	--	द्वितीय 25.01.10	सजा के कुप्रभाव के कारण प्राप्त द्वितीय ए०ए०सी०पी० दिनांक-25.01.10 से द्वितीय ए०ए०सी०पी० यथासशोधित। तदनुसार तृतीय ए०ए०सी०पी० अभी देय नहीं।
31.	प्रा०अ०नि० (प्रशि०) / अरुण कुमार पासवान-01 16.02.65 / सारण	17.02.84	--	तृतीय 17.02.14	
32.	से०नि० प्रा०अ०नि०(प्रशि०) नथुन राम / 02.01.57 / सारण	23.07.76	--	तृतीय 06.04.10	
33.	प्रा०अ०नि० (प्रशि०) सेराज खॉ / 16.12.62 / सिवान	15.03.85		तृतीय 15.03.15	
34.	प्रा०अ०नि० (प्रशि०) श्यामकांत झा / 01.05.60 / गोपालगंज	03.12.81		तृतीय 21.08.12	हवलदार में प्रोन्नति के कारण प्रथम ए०सी०पी० रद्द। द्वितीय ए०सी०पी० सजा के कुप्रभाव के कारण 08 माह 18 दिन विलम्ब से तदनुसार तृतीय ए०ए०सी०पी० दिनांक-21.08.12 से यथासशोधित।
35.	से०नि० प्रा०अ०नि०(प्रशि०) / दरोगा पाण्डेय / 21.09.50 / गोपालगंज	21.09.71	--	तृतीय 01.01.09	
36.	से०नि० प्रा०अ०नि०(प्रशि०) साहेब हुसैन / 30.06.51 / गोपालगंज	12.07.74		तृतीय 01.01.09	
37.	से०नि० प्रा०अ०नि०(प्रशि०) श्यामल मुण्डा / 12.05.51 / गोपालगंज	08.02.73		तृतीय 01.01.09	
38.	से०नि० प्रा०अ०नि०(प्रशि०) राजेन्द्र कुमार 11.07.54 / गोपालगंज	21.07.73		तृतीय 01.01.09	प्रदत्त प्रथम ए०सी०पी० देय नहीं। द्वितीय ए०सी०पी० दिनांक-09.08.99 से देय। तृतीय ए०ए०सी०पी० दिनांक-01.01.09 से देय।
39.	प्रा०अ०नि० (प्रशि०) हरिनारायण सिंह 20.06.1964 किशनगंज	08.12.84	--	तृतीय 08.12.14	
40.	प्रा०अ०नि० (प्रशि०) सरयू रविदास 10.10.65 पूर्णियाँ	09.12.85	द्वितीय 09.12.09	तृतीय 09.12.15	प्रदत्त द्वितीय ए०ए०सी०पी० अनुमान्य नहीं। द्वितीय ए०सी०पी० 09.12.09 से यथासशोधित।
41.	प्रा०अ०नि० (प्रशि०) परशुराम राम 10.01.65 पूर्णियाँ	20.12.85	द्वितीय 20.12.09	तृतीय 20.12.15	प्रदत्त द्वितीय ए०ए०सी०पी० अनुमान्य नहीं। द्वितीय ए०सी०पी० 20.12.09 से यथासशोधित।
42.	प्रा०अ०नि० (प्रशि०) हरेन्द्र राम 16.03.64 पूर्णियाँ	20.12.85	--	तृतीय 20.12.15	
43.	प्रा०अ०नि० (प्रशि०) सुनिल कुमार सिंह 09.08.65 पूर्णियाँ	16.01.86	द्वितीय 16.01.10	तृतीय 16.01.16	प्रथम ए०सी०पी० देय नहीं। प्रदत्त द्वितीय ए०ए०सी०पी० अनुमान्य नहीं। द्वितीय ए०सी०पी० 16.01.10 से यथासशोधित।

क्र०	पदनाम/ नाम / जन्म तिथि/ वर्तमान पदस्थापन	नियुक्ति तिथि	ए०सी०पी० की देय तिथि	एम०ए०सी०पी० की देय तिथि	अभियुक्ति
44.	प्रा०पु०अ०नि० सदानन्द प्र० यादव 01.01.62 शिवहर।	10.12.84	द्वितीय 15.05.09	-	प्रदत्त द्वितीय एम०ए०सी०पी० अनुमान्य नहीं। द्वितीय ए०सी०पी० 15.05.09 से यथासंशोधित। तृतीय एम०ए०सी०पी० के लिए अवधि पूर्ण नहीं होने के कारण देय नहीं।
45.	प्रा०अ०नि०(प्रशि०) वृन्दावन यादव 05 02.65 सीतामढ़ी	01.11.86	-	तृतीय 01.11.16	
46.	से०नि० पा०अ०नि० (प्रशि०) राम विनय कुँवर जन्म-1955/सीतामढ़ी से०नि० तिथि-30.06.2015	01.08.74	द्वितीय 31.08.02	तृतीय 31.08.12	सजा के कुप्रभाव के कारण प्राप्त द्वितीय ए०सी०पी० यथासंशोधित। द्वितीय ए०सी०पी० दिनांक-31.08.02 से देय। तदनुसारी तृतीय एम०ए०सी०पी० 31.08.12 से देय।
47.	आशु पु०अ०नि० अशोक कुमार शर्मा / 05.12.57 / पु०म०नि० कार्या० मुज०	09.11.82	प्रथम 30.07.00	द्वितीय 01.01.09	तृतीय एम०ए०सी०पी० की देय तिथि के पूर्व सेवानिवृत्ति। तदनुसार देय नहीं। विचारण की परिधि से बाहर।
48.	आशु पु०अ०नि० मयानंद मिश्रा / 24.01.59 / मुजफ्फरपुर	26.12.77		तृतीय 24.09.13	24.09.13 से अनुमान्य।
49.	आशु अ०नि० आलोक कुमार अम्बष्टा / 01.06.62 / एस०सी०आर०बी०	06.06.86	द्वितीय 06.06.10	तृतीय 06.06.16	प्रदत्त द्वितीय एम०ए०सी०पी० यथासंशोधित। द्वितीय ए०सी०पी० दिनांक-06.06.10 से देय। तृतीय एम०ए०सी०पी० यथाप्रस्तावित।
50.	आशु अ०नि० अनिल कुमार सिन्हा / 01.01.64 / उ०म०नि०, सै०पु०, (के०म०), पटना	11.05.87		तृतीय 11.05.17	

उपर्युक्त किसी भी कर्मी के संबंध में भविष्य में किसी प्रकार की त्रुटि/पार्थक्य पाये जाने पर संबंधित कर्मी को प्रदत्त ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० योजना के लाभ से संबंधित आदेश को रद्द/संशोधित कर दिया जायेगा तथा उन्हें भुगतान की गयी अतिरिक्त राशि की नियमानुसार वसूली/प्रतिपूर्ति कर ली जायेगी।

पुलिस महानिदेशक, बिहार के आदेशानुसार

पुलिस महानिदेशक के सहायक(कल्याण)  
बिहार, पटना।

ज्ञापांक 705/390221 / पी०-2

13-10-01-2017

पुलिस महानिदेशक का कार्यालय, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक :- 24/09/18

प्रतिलिपि :-

1. सभी संबंधित महानिदेशक, पटना, बिहार को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
2. सभी संबंधित अपर पुलिस महानिदेशक, बिहार को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
3. सभी संबंधित पुलिस महानिरीक्षक, बिहार को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
4. सभी संबंधित वरीय पुलिस अधीक्षक को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
5. सभी संबंधित पुलिस अधीक्षक को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

पुलिस महानिदेशक के सहायक(कल्याण)  
बिहार, पटना।

24/09/18